न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 05/2022
रजि. संख्या : 2022/41

प्रार्थीपक्ष :–		अप्रार्थी :–
श्री जीवणा पिता श्री भीमा, उचित मुल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत बावलियापाडा, भाग द्वितीय, तहसील कुशलगढ जिला बॉसवाडा	बनाम	1. राजस्थान राज्य द्वारा जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा 2. उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ

उपस्थित

श्री भगवत पुरी , श्री रवि पुरी – अभिभाषक (अपीलार्थी)	विभागीय प्रतिनिधि

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम आदेश 1976) विरूद्ध निर्णय दिनांक 08–04–2022, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ प्रकरण संख्या 08/2020

निर्णय

दिनांक :– 04–08–2022

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी डीलर श्री जीवणा पिता श्री भीमा, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत बावलियापाडा, भाग द्वितीय, तहसील कुशलगढ की उचित मुल्य दुकान का निरीक्षण प्रवर्तन अधिकारी बांसवाडा द्वारा दिनांक 06.04.2020 को किया गया। जिसमें अनियमितता पाये जाने पर रिपोर्ट अनुसार डीलर के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। जिसका जवाब अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 08–04–2022 को अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र क्रमांक 876/1996 निरस्त करते हुए प्रतिभूति की राशि रूपया 10000/– जब्त करने के आदेश किये है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:05:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

अपीलार्थी ने अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंट्स जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा, उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ को सम्मन जारी किया गया।

रेस्पोण्डेंट/ जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि, डीलर के विरूद्ध क्षेत्र के उपभोक्ताओं द्वारा राशन वितरण में अनियमितताएं करने की शिकायत के आधार पर उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ द्वारा जांच की जाकर अनियमितताओं के आधार पर प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया एवं प्रवर्तन निरीक्षक को विस्तृत जांच हेतु निर्देशित किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दिनांक 16.10.2020 में दर्शायी गई अनियमितताओं के आधार पर बाद सुनवाई तथ्यों के आधार पर उसका प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौके की जांच एवं क्षेत्र के उपभोक्ताओं से पूछताछ के आधार पर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को चीनी नहीं देकर एवं उसका झुठा वितरण दर्शाकर 8.77 क्विंटल चीनी का गबन एवं दुरूपयोग किया गया है। अतः अपील खारीज करने का निवेदन किया।

रेस्पोडेंट उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि, अपीलार्थी के कार्यालय द्वारा कारण बताओं नोटिस दिनांक 23.10.2020 को जारी कर दिनांक 29.10.2020 तक जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु नगर पालिका चुनाव, कोरोना काल में प्रशासन गांवो के संग अभियान की व्यस्तता के कारण तत्कालिन उपखण्ड अधिकारी द्वारा को कार्यवाही नहीं की जा सकी। अपीलार्थी को कार्यालय द्वारा पुनः कारण बताओं नोटिस दिनांक 3 03.2022 को जारी दिनांक 04.04.2022 तक जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गय अपीलार्थी द्वारा दिनांक 04.04.2022 को जवाब प्रस्तुत किया गया। बाद सुनवाई प्रकरण में स तथ्यों के आधार के पर निर्णय किया जाता है प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। डीलर के विरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:05:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

उपभोक्ताओं द्वारा राशन वितरण में अनियमितताएं करने की शिकायत के आधार पर ...ताक्षरकर्ता के निरीक्षण के दौरान पायी गंभीर अनियमितताओं पर राशन डीलर को निलम्बित ...या एवं प्रवर्तन निरीक्षक कुशलगढ से विस्तृत जांच करवायी गयी। प्रवर्तन निरीक्षक ...लगढ द्वारा की गई जांच एवं 10 उपभोक्ताओं से पूछताछ में डीलर द्वारा राशन वितरण में अनियमितताएं करना तथा डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को राशन सामग्री नहीं देकर एवं 8.77 चीनी का गबन व दुरूपयोग किया गया। प्रर्वतन निरीक्षक की जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर अनियमितताएं पाई गयी व बाद सुनवाई तथ्यों के आधार पर उसका प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। अतः अपील को निरस्त करने का निवेदन किया।

दिनांक 29.07.2022 को उभय पक्षीय बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि (प्रवर्तन अधिकारी) ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ के निर्णय दिनांक 08.04.2022 के पश्चात् उक्त अपील दिनांक 12.05.2022 को प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार तीस दिवस के पश्चात यह अपील प्रस्तुत की गई जो अवधि पार हो चुकी है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से बहस में कथन किया गया कि उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ के निर्णय 08.04.2022 जानकारी होने पर प्रतिलिपि प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करे।

जहां तक अपील म्याद बाहर होने का प्रश्न है। दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। लिहाज अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते है।

अपील पर प्रस्तुत बहस में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि, प्रत्यर्थी संख्या विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय सुसंगत रिकार्ड तथ्यों के विपरीत पारित किया है

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:05:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या 2 विद्वान अधिनरथ न्यायालय को राजस्थान खाद्यान्न आवश्यक पदार्थ (वितरण विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानों में अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र ... करने का अधिकार नहीं है। आदेश 1976 के प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाई की अधिकारिता प्रत्यर्थी संख्या 1 को है। प्रश्नगत निर्णय प्रत्यर्थी संख्या 2 विद्वान अधिनरथ न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी को अधिनरथ न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस का जवाब देने व अपीलार्थी को अधिनरथ न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। विचारण के दौरान अपीलार्थी को नहीं सुना गया है, जवाब देने का पर्याप्त अवसर भी प्रदान नही किया गया है और प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक की जांच रिपोर्ट का भी सत्यापन नहीं हुआ है। अपीलार्थी को प्रवर्तन निरीक्षक से जिरह का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलार्थी को उसके सुनवाई के अधिकार से वंचित कर दिया है। अपीलार्थी वर्ष 1996 से राशन डीलर का कार्य नियमानुसार कर रहा है। अपीलार्थी द्वारा विगत 26 वर्षो से काई अनियमितताऐं नहीं की गई है। अपीलार्थी द्वारा उपभोक्ताओं को बराबर समय पर नियंत्रित सामग्री का वितरण किया गया है। अपीलार्थी द्वारा सामग्री बराबर उठाई जाकर नियमानुसार वितरण किया जा रहा है। अपीलार्थी के स्टॉक रजिस्टर में नियमित इन्द्राज किया जा रहा है। अपीलार्थी के कार्य क्षेत्र में ग्राम बावलियापाडा आदि बडे गांव आते हैं। जिसमे बडी मात्रा में लोग रहते है। परन्तु कुछ उपभोक्ताओं से बात कर प्रश्नगत कार्यवाही अपीलार्थी के विरूद्ध अमल में लायी गयी है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 06.04.202(को अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण करना बताया है। जबकि, कोविड–19 कोरोन वैश्विक महामारी के कारण दिनांक 22.03.2020 से दिनांक 11.04.2020 तक कुल 21 दिवस क राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन केन्द्र सरकार द्वारा लगाया गया था। तत्पश्चात् लॉकडाउन को बढ़ाया भ गया था। उक्त अवधि के दौरान अपी... हर जरूरतमंद को भोजन हे राशन उपलब्ध कराने के निर्देश जारी ... घर–घर जाकर राशन वितर करने हेतु निर्देशित किया था। उस दौरान ... कार्ड में इन्द्राज की बाध्यता से ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:05:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

...की थी। इस कारण कुछ उपभोक्ताओं के राशनकार्ड में इन्द्राज नहीं होने अनियमितता ...में नहीं आता है। प्रवर्तन निरक्षक द्वारा जो कमीयॉं बताई गयी है वह असत्य है। राशन ...के रूप में अपीलार्थी ने किसी प्रकार की कोई अनियमितताऐं नही की है। साक्षीयों के ...नहीं लिये गये हे। जिसक कोई स्पष्टीकरण भी प्रत्यर्थी संख्या 2 विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ...जांचकर्ता से नहीं मांगा गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि, अपीलार्थी द्वारा कोई अनियमितता ...नहीं की गई है और राशन वितरण के अन्दर कोई गडबडीया नहीं की गई है। अभिकथित 8.77 क्विंटल चीनी को भी अपीलार्थी द्वारा सुपुर्द कर दी गई है। अपीलार्थी पर सरकारी खाद्यान्न चीनी के अतिरिक्त अन्य कोई चीनी सुपुर्द करने का आरोप भी नहीं है। अपीलार्थी द्वारा कोई राशन सामग्री खुर्द–बुर्द नहीं की गई है। अपीलार्थी के रजिस्टर में इन्द्राज सही है। गेहुं, शक्कर को बराबर बांटा गया है। स्टॉक में शेष रहने वाली नियंत्रित सामग्री का वितरण भी प्रति युनिट निर्धारित मात्रा के अनुसार किया गया है और वितरण का रिकार्ड में स्पष्ट अंकन है। गेहुं शक्कर का बराबर वितरण किया गया है एवं उसमें कोई अनियमितताऐं नही रही है। अपीलार्थी द्वारा स्टॉक रजिस्टर संधारण एवं नियंत्रित सामग्री का उठाव नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार किया गया है। इस संबंध में कोई आरोप अपीलार्थी पर नहीं है। पोस मशीन से प्राप्त वितरण की पर्ची नहीं देना एवं महिने के अंतिम 3–4 दिन ही डीलर द्वारा राशन खोली जाना भी असत्य है। जांचकर्ता द्वारा दिनांक 06.04.2020 को निरीक्षण किया गया है जो दिनांक महिना प्रारम्भ होने पर आती है। तब भी अपीलार्थी की दुकान खुली हुई एवं अपीलार्थी स्वंय अपनी दुकान पर मौजुद मिला है। राशन वितरक के रूप में अपीलार्थी ने किसी प्रकार की कोई अनियमितताऐं नहीं की है। अपीलार्थी द्वारा किसी भी उपभोक्ता से गाली–गलोच व अभद्र व्यवहार नहीं किया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति से लडाई झगडा करने संबंधी कोई रिपोर्ट किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी आपराधिक न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है। प्रत्यर्थी संख्या 2 विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबंध में भी कोई जांच नहीं की गई है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] बांसवाडा का उक्त निर्णय दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:05:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

...को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 876/1996 को ...ल किया जावे तथा प्रतिभूमि राशि रूपया 1000/– भी दिलाया जावे।

विभागीय प्रतिनिधि (प्रवर्तन अधिकारी) ने रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से बहस में कथन ...गया कि रेस्पोडेंट द्वारा उक्त प्रकरण में तथ्यों के आधार पर विधि संगत ढंग से निर्णय ...त किया गया है। रेस्पोडेंट को राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का ...नियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 एवं 9 के अन्तर्गत निलम्बन/बहाल/निरस्त की शक्तियां प्राप्त है। अपीलार्थी को उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ द्वारा कारण बताओं नोटिस दिनांक 23.10.2020 को जारी कर दिनांक 29.10.2020 तक जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु नगर पालिका चुनाव, कोरोना काल व प्रशासन गांवो के संग अभियान की व्यस्तता के कारण तत्कालिन उपखण्ड अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। अपीलार्थी को कार्यालय द्वारा पुनः कारण बताओं नोटिस दिनांक 31.03.2022 को जारी दिनांक 04.04.2022 तक जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 04.04.2022 को जवाब प्रस्तुत किया गया। बाद सुनवाई प्रकरण में सभी तथ्यों के आधार के पर निर्णय किया जाकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौके की जांच एवं क्षेत्र के उपभोक्ताओं से पूछताछ के आधार पर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को चीनी नहीं देकर एवं उसका झूठा वितरण दर्शाकर 8.77 क्विंटल चीनी का गबन एवं दुरूपयोग किया गया है। श्री जीवणा पिता भीमा उचित मूल्य दुकानदार बावलियापाडा भाग–द्वितीय द्वारा राशन वितरण में गम्भीर अनियमिताऐं की जाकर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 08, 09, 15, 11 व 17 सी का अल्लंघन किया गया है। अतः अपील खारीज करने का श्रम करावें।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि शिकायत प्राप्त होने पर बाद जांच

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:05:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

अनियमितताएं करना पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है। डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को रसीद नहीं देकर एवं उसका झूठा वितरण दर्शाकर 8.77 क्विंटल चीनी का गबन एवं दुरूपयोग किया जिसके सन्दर्भ में डीलर द्वारा सन्तोषप्रद प्रत्युत्तर पेश नही किया गया है। उपखण्ड अधिकारी को राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम) आदेश 1976 के खण्ड 3 व 9 के अन्तर्गत निलम्बन/बहाल/निरस्त की शक्तियॉ प्राप्त है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर विधि संगत ढंग से सुनवाई की जाकर तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी का प्राधिकार–पत्र निरस्त किया गया है। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत् जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 08, 09, 15, 1 व 17 सी का उल्लंघन होने से अनुज्ञा–पत्र निरस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ यायायलय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08–04–2022 में किसी प्रकार से हस्तक्षेप उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलार्थी निरस्त की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08–04–2022 को यथावत् रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:05:20 IST
Reason: SelfAttested